

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड- (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन


अधिसूचना सं. 35/2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 26 सितम्बर, 2018

विषय:- विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में संशोधन-अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी और ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाना।

सा. आ. (अ) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.14 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।
2. विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.01 (क) के तहत ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।
3. विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत ईओयू स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.14, पैरा 5.01 (क) और पैरा 6.01 (घ) (ii) को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/94/180/373/एएम-18/पीसी-4 से जारी]